

# न्यूज़ टुडे

## विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक तपेदिक (Global Tuberculosis) रिपोर्ट, 2025 जारी की

इस रिपोर्ट के अनुसार, तपेदिक (टीबी) संपूर्ण विश्व में मृत्यु के शीर्ष 10 कारणों में से एक है। साथ ही, किसी एकल संक्रामक सूक्ष्मजीव से होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण भी है।

रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर:

- टीबी के मामले: वर्ष 2024 में, विश्व के 87% टीबी रोगी 30 देशों में दर्ज किए गए थे। इनमें सबसे अधिक दर भारत (25%) में पाई गई है।
- वैश्विक टीबी घटना दर (Incidence Rate): इसमें वर्ष 2015-2024 तक 12% की निवाल कमी आई है।
- वैश्विक टीबी से होने वाली मौतें: इसमें वर्ष 2015-2024 तक 29% की निवाल कमी आई है।
- बहु-दवा प्रतिरोधी टीबी (MDR-TB): यह एक लोक स्वास्थ्य संकट और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी खतरा बना रहा है।

तपेदिक (टीबी) के बारे में

- यह एक संक्रामक वायुजनित रोग है। यह रोग बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बीमारी को रोका जा सकता है और इसका उपचार भी किया जा सकता है।
- इसके निष्प्रतिक्रिया दो प्रकार हैं:
  - ⊕ पल्मोनरीय या फुफ्फुसीय टीबी (Pulmonary TB): यह फेफड़ों को प्रभावित करने वाला सबसे सामान्य रूप है। यह संक्रामक होता है और खासने या छोंकने से निकली बूंदों से फैलता है।
  - ⊕ एक्स्ट्रापल्मोनरीय या बाह्य फुफ्फुसीय टीबी (Extrapulmonary TB): यह फेफड़ों के बाहर होता है, जो लिम्फ नोड्स, हड्डियों, मस्तिष्क, किढ़ीया या प्लूरा (फेफड़ों को ढकने वाली ज़िल्ली) जैसे अंगों को प्रभावित करता है। यह कम संक्रामक होता है और फेफड़ों से शरीर के भीतर फैलता है।
- उपचार: इसका इलाज विशेष एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। इनमें सबसे सामान्य हैं: रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पाइराजिनामाइड, और एथेमब्युटोल।
- MDR-TB: इसमें ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया टीबी की दो दवाओं आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन के प्रति प्रतिरोधी होता है।
- रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड टीबी की दो सबसे प्रभावी प्रथम-पंक्ति की दवाएँ होती हैं।

### टी.बी. उन्मूलन के लिए किए गए उपाय

भारत द्वारा किए गए उपाय:

राष्ट्रीय क्षय टोर्ज (टीबी) उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP): इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करना है।

निक्षय पोर्टल: यह NTEP के तहत वेब आधारित टोर्जी प्रबंधन और निगरानी प्रणाली है।

**WHO की टीबी उन्मूलन रणनीति:** इसका लक्ष्य है - वर्ष 2015 के दस्तर की तुलना में 2035 तक टीबी से पीड़ित टोर्जियों में 90% की कमी लाना और टीबी से होने वाली मौतों में 95% की कमी करना।

## भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बीज विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया

यह विधेयक कानून बनने के बाद बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की जगह लेगा। इस प्रस्तावित विधेयक के निष्प्रतिक्रिया उद्देश्य हैं:

- किसानों के लिए उत्तर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
- किसानों के अधिकारों की रक्षा करना, और
- व्यवसाय करना आसान बनाना।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- बीजों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण: कोई भी बीज बिना पंजीकरण के बेचा नहीं जा सकेगा। हालांकि, किसानों द्वारा संरक्षित पारंपरिक बीज किसीं से और विशेष रूप से निर्यात के उद्देश्य से उत्पादित बीज को इस प्रावधान से छूट दी गई है।
- बीजों की बिक्री का विनियमन: बीज की किसीं को भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणन मानकों का अनुपालन करना होगा।
- केंद्रीय बीज-समिति: इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
- यह समिति बीज से संबंधित कार्यक्रम व योजना बनाने तथा बीज के विकास, उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, निर्यात और आयात आदि से संबंधित मामलों पर सलाह देगी।
- राज्य बीज समितियां: ये समितियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गठित की जाएंगी। राज्य समिति में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या नामित अधिकारी 15 सदस्य होंगे।
- पंजीकरण उप-समितियां: ये समितियां बीज के प्रकारों या किसीं के दावों का परीक्षण करके उनके पंजीकरण के लिए अनुशंसा करेंगी।
- बीज किसीं पर राष्ट्रीय रजिस्टर: यह बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के नियंत्रण और प्रबंधन में संरक्षित सभी प्रकार या किसीं के बीजों का एक रजिस्टर होगा।
- केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला और राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना: इन प्रयोगशालाओं में बीज विश्लेषक और निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
- कानून के उल्लंघन का अपराध और दंड: इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने की प्रकृति के आधार पर कठोर दंड प्रस्तावित किए गए हैं।
- अपराधों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है; तुच्छ (Trivial), मामूली (Minor) और मंभीर (Major)।
- मंभीर अपराधों के मामले में अधिकतम 30 लाख रुपये तक का जुर्माना और कैद की सजा का प्रावधान है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
MINISTRY OF  
AGRICULTURE AND  
FARMERS WELFARE



## “द लैंड गैप रिपोर्ट 2025” के अनुसार, सरकारों के जलवायु संबंधी संकल्प भूमि आधारित कार्बन निष्कासन (LBCR) पर बहुत अधिक निर्भर हैं

वर्तमान में, सरकारों के जलवायु संबंधी संकल्पों में भूमि आधारित कार्बन निष्कासन के लिए लगभग 1.01 बिलियन हेक्टेयर भूमि के उपयोग का प्रस्ताव किया गया है।

**भूमि आधारित कार्बन निष्कासन (LBCR) क्या है?**

LBCR उन रणनीतियों को संदर्भित करता है, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहीत करने के लिए स्थलीय परिस्थितिकी-तंत्रों का उपयोग करती हैं। इन परिस्थितिकी-तंत्रों में मुख्य रूप से वन, मृदा, आर्द्रभूमियां, और कृषि परिवहन शामिल हैं।

**LBCR की विधियां**

► **पुनर्वनीकरण और वनीकरण:** जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) के अनुसार, पुनर्वनीकरण एवं वनीकरण से प्रतिवर्ष 0.5–10.1 गीगाटन CO<sub>2</sub> का शमन (mitigation) किया जा सकता है।

► **मृदा कार्बन प्रचालन (Soil Carbon Sequestration):** यह वातावरण में मौजूद CO<sub>2</sub> को कैचर करने और उसे मृदा जैविक कार्बन (SOC) के रूप में मृदा में संग्रहित करने की प्रक्रिया होती है।


► **कार्बन कैचर और स्टोरेज के साथ जैव-ऊर्जा (BECCS):** BECCS में, सिल्वरग्रास जैसी ऊर्जा उत्पादक फसलें उगाई जाती हैं। इनका जैव-ऊर्जा के लिए इंधन के रूप में दहन किया जाता है। दहन से होने वाले CO<sub>2</sub> उत्सर्जन को कैचर किया जाता है और भूमिगत रूप से संग्रहीत किया जाता है।

► **भूवैज्ञानिक कार्बन प्रचालन:** प्रत्यक्ष रूप से वायु से या बॉयोजेनिक (जैव-उत्पादित) स्रोतों से कैचर की गई CO<sub>2</sub> को लंबी अवधि के भंडारण के लिए छिद्रयुक्त चट्टानी संरचनाओं में भूमिगत गहराई में इंजेक्ट किया जाता है।

► **बायोचार:** आँकड़ेजन की सीमित मात्रा वाले परिवेश में बायोमास के दहन से कार्बन का अधिक स्थिर रूप उत्पन्न होता है, जिसका मृदा में उपयोग किया जा सकता है। इससे मृदा के पोषक तत्वों में वृद्धि होती है और कार्बन स्टॉक में भी बढ़ोतरी होती है।

► **वर्धित अपक्षय (Enhanced Weathering):** इसमें कार्बन ग्रहण (uptake) में वृद्धि करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और अभिक्रियाशील स्रोतों (जैसे- कुछ प्रकार की चट्टानों) के बीच होने वाली प्राकृतिक अभिक्रिया को तीव्र किया जाता है।

### IPCC द्वारा कार्बन निष्कासन के विभिन्न उपायों की अनुमानित क्षमता 2050 तक प्रति वर्ष गीगाटन CO<sub>2</sub> कार्बन निष्कासन



रिपोर्ट के अन्य मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

► **भूमि अंतराल (Land Gap):** जलवायु संकल्प LBCR पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिसके लिए 1 बिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

⊕ इन्हें बड़े पैमाने पर भूमि रूपांतरण से खाद्य उत्पादन विस्थापित होगा; जैव विविधता के समक्ष खतरा उत्पन्न होगा, और आजीविका बाधित होगी। इससे गंभीर सामाजिक और परिस्थितिक परिणाम सामने आएंगे।

► **वन अंतराल (Forest Gap):** यह 2030 तक वनों की कटाई एवं वन निष्ठाकरण (degradation) को रोकने और उलटने की प्रतिबद्धताओं तथा वास्तविक स्थिति के बीच का अंतर है। यह दर्शाता है कि 2030 तक प्रत्येक वर्ष लगभग 20 मिलियन हेक्टेयर वनों का नुकसान या निष्ठाकरण हो सकता है।

## भारत ने स्पष्ट किया कि जलवायु वित्त-पोषण में कमी जलवायु कार्बनाईट के लक्ष्यों को पूरा करने में प्रमुख बाधा है

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन (CoP30) ब्राजील के बेलैम में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान बेसिक (BASIC) तथा ‘समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDC)’ के समूह की ओर से भारत ने बायान जारी किए और इसमें जलवायु वित्त पोषण की महत्वता को रेखांकित किया।

► **बेसिक (BASIC) समूह के सदस्य हैं:** ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन।

भारत के पक्ष के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

भारत ने निम्नलिखित मार्गों रखती हैं:

► **स्पष्ट परिभाषा:** जलवायु वित्तपोषण की एक स्पष्ट और सभी देशों को स्वीकार्य परिभाषा तय की जाए।

► **जलवायु-अनुकूलन में वित्तपोषण:** जलवायु अनुकूलन से जुड़े कार्यों में लोक-वित्त निवेश में सुधार किए जाएं और इसे व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाए।

⊕ अनुकूलन कार्यों में वित्तीय निवेश को वर्तमान की तुलना में लगभग 15 गुना अधिक करने की ज़रूरत है।

⊕ **वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (Global Goal on Adaptation: GGA) प्राप्ति की दिशा में ठोस प्रगति की आवश्यकता है।** यह अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मजबूती से निपटने और जलवायु परिवर्तनाओं से जुड़े खतरों को कम करने के लिए जरूरी है।

◆ **वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA), पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते 2015 के अनुच्छेद 7 के तहत तय किए गए हैं।**

► **अनुच्छेद 9.1 का अनुपालन:** पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का कार्यान्वयन होना चाहिए। यह अनुच्छेद विकासशील देशों को उपशमन यानी उत्सर्जन में कमी लाने और अनुकूलन, दोनों में सहायता हेतु वित्तीय संसाधन प्रदान करने हेतु विकसित देशों के कानूनी दायित्व की पुष्टि करता है।

► **जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु प्रौद्योगिकियां:** ‘प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम (Technology Implementation Programme)’ की दिशा में ठोस प्रगति होनी चाहिए ताकि प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में बौद्धिक संपदा अधिकार और बाजार संबंधी बाधाएं रुकावट न बनें।

⊕ पेरिस समझौते पर ‘प्रथम ग्लोबल स्टॉकटेक्स’ के परिणामस्वरूप ‘प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम’ का शुभारंभ हुआ।

► **ग्लोबल नर्थ और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच विकास में असमानता को कम करना:** ‘UNFCCC-जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम’ के तहत ऐसी संस्थागत व्यवस्थाएं विकसित की जाएं जिससे विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में समान और समावेशी रूप से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुनिश्चित हो सके।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत जलवायु वित्त-पोषण लक्ष्य

► **बाकू से बेलैम रोडपैमैट- 1.3 T (ट्रिलियन) लक्ष्य:** UNFCCC-CoP29 में पक्षकार देशों ने ‘नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (New Collective Quantified Goal: NCQG)’ पर सहमति व्यक्त की थी। इसमें विकासशील देशों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 300 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य वर्ष 2035 तक प्राप्त करना भी शामिल है।

⊕ इसमें एक व्यापक लक्ष्य 2035 तक बाह्य वित्तीय सहायता बढ़ाकर प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर करना भी शामिल है।

► **ग्लासगो जलवायु समझौता:** इसके तहत विकसित देशों ने यह वचन दिया कि वे 2025 तक विकासशील देशों को जलवायु-अनुकूलन हेतु 40 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

## एक अध्ययन में स्टेम कोशिकाओं के माध्यम से उपचार की एक नई विधि प्रस्तुत की गई

इस अध्ययन में स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर की मरम्मत के लिए एक आशाजनक नई विधि की पेशकश की गई है। इस अध्ययन के अनुसार, वसा ऊतक (adipose tissue) से निकली गई स्टेम कोशिकाएं मनुष्यों में देखे जाने वाले ऑस्टियोपोरोसिस-संबंधी फ्रैक्चर को ठीक करने में मदद कर सकती हैं।

- वसा ऊतक को शरीर की चर्चा भी कहते हैं।
- ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है, जो हड्डियों को कमज़ोर और नाजुक बना देती है।

स्टेम कोशिकाओं के बारे में

- अर्थ: ये अविशेषिकृत (unspecialized) कोशिकाएं होती हैं। ये शरीर के विकास के साथ नई कोशिकाएं प्रदान करती रहती हैं। ये नई परिपक्व कोशिकाओं के निर्माण के लिए बार-बार विभाजित हो सकती हैं।
- ये नवीन परिपक्व कोशिकाएं विशेष कार्यों को संपन्न कर सकती हैं।

⊕ मनुष्यों में, इन्हें प्रारंभिक भ्रूण के आंतरिक कोशिका द्रव्यमान (inner cell mass); भ्रूण, गर्भनाल व प्लेसेंटा के कुछ ऊतकों में; और कई वयस्क अंगों में पहचाना गया है।

► प्रमुख प्रकार:

⊕ प्ल्युरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं (Pluripotent stem cells): इनमें भूूणीय स्टेम कोशिकाएं और प्रेरित प्ल्युरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं शामिल हैं।

⊖ गैर-भूूणीय/ कायिक/ वयस्क स्टेम कोशिकाएं (Non-embryonic/Somatic/Adult stem cells)।

◆ प्ल्युरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं: इनमें वयस्क शरीर की सभी कोशिकाओं में विभेदित होने की क्षमता होती है।

» भूूणीय स्टेम कोशिकाएं (ESCs): ये भ्रूण में (निर्भेदन के 3 से 5 दिन बाद और प्रत्यारोपण से पहले) पाई जाती हैं। इनमें आंतरिक कोशिका द्रव्यमान होता है, जो मानव शरीर के सभी विशिष्ट ऊतकों को उत्पन्न करने में सक्षम होता है।

» प्रेरित प्ल्युरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं (iPSCs): ये कायिक कोशिकाओं (उदाहरण के लिए- त्वचा कोशिका) में भ्रूण जीन को डालकर बनाई जाती हैं। इससे ये वापस “स्टेम कोशिका” जैसी अवस्था में बदल जाती है।

◆ वयस्क स्टेम कोशिकाएं (ASCs): ये ऊतक या अंग में पाई जाने वाली अविभेदित कोशिकाएं हैं और उस ऊतक या अंग के विशिष्ट कोशिका प्रकारों को उत्पन्न करने के लिए विभेदित हो सकती हैं।

» प्रमुख प्रकारों में शामिल हैं: तंत्रिका स्टेम कोशिकाएं; त्वचा स्टेम कोशिकाएं आदि।

## स्टेम कोशिकाओं के लाभ



**विशिष्ट टीजेनरेटिव क्षमताएं:** क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनर्जनन/मरम्मत के लिए विशिष्ट कोशिकाओं में परिवर्तित होने हेतु निर्देशित किया जा सकता है।



**दवा परीक्षण और विकास:** इन विद्यों दवा जांच और विषाक्तता परीक्षण के लिए विशिष्ट मानव ऊतक के उत्पन्न कर सकती हैं।



**टोगों की समझः** हड्डियों, हृदय की मांसपेशियों, नसों आदि में इन कोशिकाओं के परिपक्व कोशिकाओं में विकसित होने का पर्यवेक्षण करके टोगों को समझाने में सहायक।

## अन्य सुर्खियां



### दल बदल-रोधी कानून

हाल ही में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दल बदल-रोधी कानून के तहत एक विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया।

दल बदल-रोधी कानून के बारे में

► इस कानून को राजनीतिक दल-बदल को रोकने के लिए बनाया गया है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा गया है।

► सदन के सदस्यों की अयोग्यता के आधार:

⊕ यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता त्वाग देता है।

⊕ यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी निर्देश के विपरीत जाकर मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है।

⊕ निर्दलीय सदस्य: यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।


⊕ मनोनीत सदस्य: यदि मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

► अपवादः

⊕ विलय: एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाने या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उस दल के कम-से-कम दो-तिहाई निर्वाचित सदस्य विलय के पक्ष में हों।

► अध्यक्ष/ सभापति की भूमिका: अयोग्यता के प्रश्नों पर उनका निर्णय अंतिम होता है।

► अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा: किंहोतो होलोहोन बनाम ज़ाचिन्हू और अन्य (1992) वाद में उच्चम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यदि अध्यक्ष कार्यवाही में देरी करता है, तो न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा।



### मुध-न्योमा एयरबेस

भारत ने चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अपनी रक्षा तैयारियों को बढ़ाते हुए, लद्दाख में मुध-न्योमा एयरबेस के बारे में

मुध-न्योमा एयरबेस के बारे में

► अवस्थिति: पूर्वी लद्दाख।

⊕ यह लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर और LAC के बहुत निकट स्थित है।

► महसूल: यहां से देपसांग मैदानों, पैंगोंग से सेक्टर, और चुशूल घाटी सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नजर रखनी जा सकती व नियंत्रण बनाया रखा जा सकता।

► निर्माणकर्ता: सीमा सङ्करण बोर्ड (BRO)।

► लद्दाख में चौथा प्रमुख एयरबेस: यह लेह, कारगिल और थोइस एयरबेस के पूरक के रूप में कार्य करेगा।

### वैश्विक कार्बन बजट 2025

हाल ही में, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने ग्लोबल कार्बन बजट 2025 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत का कार्बन उत्सर्जन धीमी गति से बढ़कर 1.4% रहा। इसके लिए मानसून द्वारा ठंडक और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की उत्तरदायी कारक माना गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

► वर्ष 2024 में भारत तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक रहा। भारत ने वार्षिक रूप से 3.2 बिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन किया है। इससे आगे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका (4.9 बिलियन टन) और चीन (12 बिलियन टन) हैं।

► भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वार्षिक रूप से 2.2 टन है। यह अंकड़ा विश्व की

20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे कम है।

► प्रमुख योगदानकर्ता: कोयला भारत के उत्सर्जन में योगदान देने वाला प्रमुख ईंधन प्रकार है।





## हेपेटाइटिस A

भारत में हेपेटाइटिस A तीव्र यकृत विफलता (acute liver failure) का एक बढ़ता हुआ कारण है। हेपेटाइटिस A के बारे में

- यह यकृत की एक प्रकार की सूजन है, जो हृल्की से लेकर गंभीर बीमारी तक पैदा कर सकती है।
- संक्रमण के माध्यम: दूषित भोजन और जल के सेवन से; किसी संक्रामक व्यक्ति के साथ सीधे यैन संपर्क के माध्यम से आदि।
- रिकवरी: लगभग कोई भी व्यक्ति हेपेटाइटिस A से पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसे जीवन भर के लिए प्रतिरक्षा मिल जाती है।
- हालांकि, हेपेटाइटिस A से संक्रमित लोगों में से कुछ फुलमिनेंट हेपेटाइटिस (fulminant hepatitis) के कारण मर सकते हैं।
- चिरकालिक रोग: हेपेटाइटिस B और C के विपरीत, हेपेटाइटिस A चिरकालिक यकृत रोग का कारण नहीं बनता है।
- टीका: हेपेटाइटिस A और B के लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन हेपेटाइटिस C के लिए उपलब्ध नहीं है।



## जलवायु परिवर्तन पर सूचना सत्यनिष्ठा (Information Integrity) पर घोषणा-पत्र

जलवायु परिवर्तन पर सूचना सत्यनिष्ठा के लिए वैश्विक पहल ने COP-30 में जलवायु परिवर्तन पर सूचना सत्यनिष्ठा पर घोषणा-पत्र जारी किया।

- पहल की शुरुआत: वर्ष 2024 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में इस पहल की घोषणा की गई थी। यह देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच एक समर्तित बहुपक्षीय सहयोग है। इसका उद्देश्य जलवायु संबंधी मुद्दों पर सूचना सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने वाले अनुरूपान और कार्रवाई को वित्त-पोषित करना है।
- इसने जलवायु परिवर्तन पर सूचना सत्यनिष्ठा के लिए एक वैश्विक कोष भी गठित किया है।
- घोषणा-पत्र के बारे में
- यह घोषणा-पत्र स्थीकार करता है कि जलवायु संबंधी गतल सूचना एक जलवायु संकट बन गया है।
- जलवायु संबंधी गतल सूचना: इसका तात्पर्य जलवायु परिवर्तन, इसके कारणों, प्रभावों या समाधानों के बारे में ज्ञानी, भासक या छलपूँज जानकारी से है।
- यह सरकारों को जलवायु विज्ञान की रक्षा करने और पारदर्शी सार्वजनिक संचार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध करता है।



## अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC)

आइसलैंड ने AMOC के संभावित क्षय को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया।

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) के बारे में

- AMOC अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं की एक प्रणाली है। यह उष्ण कटिंग से उत्तरी ध्रुव की ओर गर्म जल धाराओं को प्रसारित करती है। साथ ही ठंडे, खारे व सघन जल को उष्ण कटिंग तथा दक्षिण ध्रुव की ओर विसर्पित करती है।
- यह प्रणाली जल के तापमान और लवणता की मात्रा में भिन्नता से संचालित होती है। साथ ही, यह विश्व के महासागरीय बेसिनों में उष्णता एवं पोषक तत्वों का वितरण करती है।
- इसका कमज़ोर होना और क्षरण नियन्त्रित का कारण बन सकता है:

  - यूरोप में ठंड बढ़ावा और यूरोप, दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका के कुछ हिस्सों में वर्षण के प्रतिरूप में बदलाव आना।
  - भारतीय मानसून के समय का प्रभावित होना।
  - उष्णकटिंगीय वर्षा पृष्ठी दक्षिण की ओर खिसक सकती है। इसके परिणामस्वरूप, अफ्रीकी साहेल क्षेत्र में सूखा पड़ सकता है।

## सुर्जियों में रहे स्थल



## ईरान (तेहरान)

ईरान लगभग छह दशकों में अपने सबसे बुरे सूखे का सामना कर रहा है। इसके कारण देश के प्रमुख बांधों में जल का स्तर गंभीर रूप से कम हो गया है। भौगोलिक अवस्थिति

- सीमावर्ती देश: इसके उत्तर में अर्मेनिया व अजरबैजान, पश्चिम में ईराक, उत्तर-पश्चिम में तुर्की, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान तथा उत्तर व उत्तर-पूर्व में तुर्कमेनिस्तान स्थित है।
- सीमावर्ती जल निकाय: इसकी सीमाएं दक्षिण में ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से तथा उत्तर में कैस्पियन सागर से लगती है। भौगोलिक विशेषताएं
- प्रमुख पर्वत: जाय्रोस, एल्बूस आदि।
- सबसे ऊँची चोटी: माउंट दमावंद।
- नदियां/ जल निकाय: कारून, सफ़ीद आदि।
- उर्मिया झील: यह एक एंडोरेइक (endorheic) खारे जल की झील है तथा मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील है।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर